

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल,
भागलपुर।

पटना, दिनांक- 10 / 10 / 2017

विषय:- जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर को विपत्र कोड- 20-2210011100009 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल रू० 16,40,66,750/- (रुपये सोलह करोड़ चालीस लाख छियासठ हजार सात सौ पचास) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर के पत्रांक-3566 दिनांक-16.09.2017 के आलोक में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर को विपत्र कोड- 20-2210011100009 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्न विवरणी के अनुसार वेतनादि एवं अन्य प्राथमिक ईकाइयों में कुल रू० 16,40,66,750/- (रुपये सोलह करोड़ चालीस लाख छियासठ हजार सात सौ पचास) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2) दिनांक-17.04.1998, 2880/वि०(2) दिनांक-06.05.06, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08 एवं 3388/वि०(2) दिनांक-18.04.2011 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अधीक्षक, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।


4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0009-भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर विपत्र कोड- 20-2210011100009 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से की जायेगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

7. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्तों के तहत किया जाएगा।
8. इस आवंटनादेश द्वारा मशीनें एवं उपस्कर मद में आवंटित राशि में संस्थान एवं इसके प्रयोगशालाओं के मशीनों एवं उपस्कर के मरम्मत एवं रखरखाव के लिए भी राशि शामिल है।
9. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।
10. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, भागलपुर से की जाएगी।
11. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।
12. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन



(सच्चिदानन्द चौधरी)


सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-1/ज0अ0-03/2017-46(1)90 /स्वा0, पटना, दिनांक- 10 / 10 / 2017

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर/जिलाधिकारी, भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव

भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर विपत्र कोड- 20-2210011100009 को वित्तीय वर्ष
2017-18 में राशि का अतिरिक्त आवंटन

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
0009.01.01 वेतन	151628000	113721000	37907000	151628000	0
0009.01.03 जीवन यापन भत्ता	192496000	144372000	48124000	192496000	0
0009.01.04 मकान किराया भत्ता	21543000	16157250	5385750	21543000	0
0009.01.06 चिकित्सा भत्ता	1000000	750000	250000	1000000	0
0009.01.07 अन्य भत्ता	1700000	1275000	425000	1700000	0
योग- वेतन एवं भत्ते	368367000	276275250	92091750	368367000	0
0009.06.01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	500000	250000	250000	500000	0
0009.11.01 यात्रा व्यय	100000	50000	50000	100000	0
0009.13.01 कार्यालय व्यय	6000000	3000000	3000000	6000000	0
0009.13.02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	1000000	500000	500000	1000000	0
0009.13.03 दूरभाष	150000	75000	75000	150000	0
0009.13.04 विद्युत प्रभार	15000000	15000000	0	15000000	0
0009.13.05 विधि प्रभार	100000	100000	0	100000	0
0009.13.06 वर्दी/पोशाक	500000	250000	250000	500000	0
0009.13.10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	200000	100000	100000	200000	0
0009.14.01 किराया महसूल एवं कर	1100000	1100000	0	1100000	0
0009.16.01 प्रकाशन एवं मुद्रण	100000	50000	50000	100000	0
0009.20.02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	200000	100000	100000	200000	0
0009.20.03 प्रशिक्षण व्यय	100000	50000	50000	100000	0
0009.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	10000000	5000000	5000000	10000000	0
0009.21.02 दवा भण्डार	100000000	75000000	25000000	100000000	0
0009.21.03 आहार/पथ्य	30000000	22500000	7500000	30000000	0
0009.27.02 अनुरक्षण एवं मरम्मत	10000000	0	0	0	10000000
0009.28.01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	0	0	0	0	0
0009.28.02 संविदा सेवायें	80000000	60000000	20000000	80000000	0
0009.34.01 छात्रवृत्ति/वजीफा	14400000	14400000	0	14400000	0
0009.51.01 मोटर गाड़ी- कार्यालय	100000	50000	50000	100000	0
0009.52.01 मशीनें एवं उपस्कर - कार्यालय	2000000	1000000	1000000	2000000	0
0009.52.02 मशीनें एवं उपस्कर - अन्य	18000000	9000000	9000000	18000000	0
कुल योग :-	657917000	483850250	164066750	647917000	10000000

(रुपये सोलह करोड़ चालीस लाख छियासठ हजार सात सौ पचास)

46(1)ब0

10-10-17

सरकार के विशेष सचिव